न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
हरिसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी देलदर के का0मु0 1. दरियाकंवर पत्नी हरिसिंह 2. गंगासिंह पुत्र हरिसिंह 3. पाबुसिंह पुत्र हरिसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण देलदर तहसील व जिला सिरोही		1. आदाराम पुत्र सदाराम जाति मेघवाल निवासी गुडिया तहसील सुमेरपुर जिला पाली 2. हनवन्तसिंह पुत्र जोगसिंह 3. कुन्दनसिंह पुत्र गणपतसिंह 4. प्रवीणसिंह पुत्र गणपतसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण देलदर तहसील सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री नरेन्द्रसिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री नगेन्द्र कुमार मेडतीया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.9.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही राजस्व वाद संख्या 105/2002 आदाराम बनाम हरिसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.03.2001 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रिंसिपल विक्रेता सोपू धर्मपत्नी भूरा वगैरा एवं अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 की खातेदारी भूमि थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रिंसिपल विक्रेता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील वाद प्रस्तुत विभाजन कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद से पूर्व वादीगण (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रिंसिपल विक्रेता) का जैर अपील विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्से की भूमि ओटसिंह पुत्र भवानीसिंह, अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का संयुक्त रूप से दर्ज था। ओटसिंह पुत्र भवानीसिंह लाऔलाद फौत हो चुका था। जिसे दोनों पक्षकारान् में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

समाहित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है।, जो विधि विरूद्ध है, चूंकि ओटसिंह वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नजदीकी थे, जिनका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रिंसिपल विक्रेता से कोई सरोकार ही नहीं था, तो भी ओटसिंह का हिस्सा समस्त पक्षकारान् में समाहित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, उसकी अपीलाण्ट को कोई जानकारी ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त ही नहीं है। उनके स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का कब्जा काश्त है। यह स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किए गए, उन प्रस्तावों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया तथा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने सड़क के समीप वाली भूमि एवं कुंए के पास वाली भूमि जैर अपील निर्णय की आड में अपने नाम करवा ली, जबकि विभाजन हेतु जो आदेश पारित किया गया था, वह बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने का था। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 12.10.2015 को हुई है, जिस पर अपीलाण्ट ने दस्तावेजात् की प्रतियां प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की है, वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.03.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जैर अपील निर्णय दिनांक 29.03.2001 को पारित किया गया है, जिसके 15 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, उसे कण्डोन करने हेतु कोई न्यायोचित कारण दर्शित नहीं किया है। अतः अपीलाण्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज़ योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी नहीं है। अतः गुणावगुण पर भी अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। विधि अनुसार मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का परीक्षण करने पर निम्न स्थिति प्रकट होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय दिनांक 29.03.2001 को पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा यह अपील 23.10.2015 को प्रस्तुत की है, जो दिनांक 26.10.205 को दर्ज हुई है। इस प्रकार निर्णय पारित होने के 15 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण दर्शाया गया है, वो यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2001 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश की पालना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

में दिनांक 12.06.2015 को फाईनल डिक्री जारी की गई एवं इसके पश्चात दिनांक 07.08.2015 को संशोधित अन्तिम डिक्री जारी की गई, जिस पर अपीलाण्ट को प्रकरण की जानकारी हुई, तब दस्तावेजात् की प्रतियां प्राप्त कर अपील प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय उभयपक्ष के अभिभाषणगण की उपस्थिति में पारित किया गया है। इसके पश्चात भी लगभग तीन वर्ष तक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण में रहा है। जिससे अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता जैर अपील निर्णय से अनभिज्ञ हो, यह सत्य से परे प्रतीत होता है। जहां तक अपील प्रस्तुत करने में देरी को कण्डोन करने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न अभिमत प्रकट किए है, इस सन्दर्भ में आर0आर0डी0 1970 पेज 542 आर्य समाज शिक्षण संस्था, अजमेर बनाम श्री आदित्य नारायण में प्रतिपादित किया कि "Each day's delay from expiry of limitation held, not explained in compliance of provision of Sec. 5 - Collector acted illegally and with material irregularity in condoning delay on unwarranted and unjustified grounds--Discretion to condone delay to be exercised judicially -- Sufficient reason explaining each day's delay must exist before exercise of such a discretion" इसी प्रकार इसी प्रकार RRD 1994 Page 697 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5-Appellant's plea of lack of knowledge of impugned order, not substantiated by record-Condonation of delay refused and appeal dismissed as time bared. (Paras 3-4) (B) Affidavit-Appellant found to have filed false affidavit for obtaining stay order-Board directed prosecution of appellant for submitting false affidavit deliberately knowing full well that it was false. (Para 5) . इसी प्रकार RRD 1994 page 25 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5 – Application for condonation of delay did not contain any material explaining delay-Collector also not considering whether there ws satisfactory explanation-Condonation of delay was not proper Mere fact of submission of application did not justify condonation. (B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Receptacles) Rules, Rule 4-Land recorded as Banjar-Mention of word "talai" in column not explained allotment of talai is not prohibited by the rules. इसी प्रकार 2013(3) Weekly Law Notes 68 6(SC) में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, 1963-Sec. 5-Sufficient Cause-Construction-term should be considered with pragmatism in Justice oriented approach rather than technically insisting to explain delay of every day-Delay in Official Business requires its pedantic approach from Public Justice perspective.

(B) Limitation Act, 163, -Dec, 5- Sufficient Cause-Appellant obtaining decree for permanent injunction against Respondent State in 1969 Execution applied in 2009-Objection of the Respondent under Sec. 47 CPC rejected-on 17-08-2010-Respondent filed another objection on 15-09-2011 for recall of attachment-Objection dismissed on 15-09-2011-Revision filed before District Judge against order dated 17-08-2010-District Judge condoned the Delay and High Court agreed with the same-Held, No sufficient cause made out merely becaude respondent is the State the delay cannot be condoned- Delay in filing execution case cannot be a Ground to condone the delay in filing Revision. इसी प्रकार 2014(4) RLW Page 3173 में प्रतिपादित किया कि Limitation Act, 1963, Sec. 5_ Condonation of delay- Appeal against

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

rejection of suit for specific performance filed after delay of 1916 days i.e. about 5-1/4 Years- the ground is lack of communication with the lawyer- Held- The assertions appear to be incorrect_ they do not evoke confidence- it clearly reflects negligence lack of action diligently and inactivity on the part of appellants in not contraction their lawyer for such a long period – No case of condonation of delay is made out in absence of affidavit of lawyer in their support. इन समस्त अभिनिर्णयों की रोशनी में प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु जो कारण दर्शित किए है, वे सन्तोषजनक एवं स्वीकार योग्य नहीं है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज़ योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज़ की जाती है एवं न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही राजस्व वाद संख्या 105/2002 आदाराम बनाम हरिसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.03.2001 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही